अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/60

1. रामेश्वर पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. बच्छराज पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

—अपीलार्थी

बनाम

1. रामी पुत्री श्रवण लाल पत्नी भैरूलाल जाति मीणा निवासी बागली ।
2. हंसराज पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा ।
3. पारी बाई पुत्री माधो लाल जाति मीणा निवासी राजपुरा ।
4. मूर्तिबाई पुत्री माधो लाल जाति मीणा निवासी राजपुरा ।
5. उर्मिला बाई पत्नी हंसराज मीणा निवासी राजपुरा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा ।

——प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 15/61

1. रामेश्वर पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. बच्छराज पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

—अपीलार्थी

बनाम

1. रामी पुत्री श्रवण लाल पत्नी भैरूलाल जाति मीणा निवासी बागली ।
2. हंसराज पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा ।
3. पारी बाई पुत्री माधो लाल जाति मीणा निवासी राजपुरा ।

4. मूर्तिबाई पुत्री माधो लाल जाति मीणा निवासी राजपुरा ।
5. उर्मिला बाई पत्नी हंसराज मीणा निवासी राजपुरा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री दिनांक 14.10.2008 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2009 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 103/दावा/2007

रामी पुत्री श्रवण लाल पत्नी भैरूलाल जाति मीणा निवासी बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

——वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र माधो लाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा ।
2. रामेश्वर पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा ।
3. बच्छराज पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा ।
4. पारी बाई पुत्री माधो लाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा।
5. मूर्तिबाई पुत्री माधो लाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा ।
6. पन्नी बाई पुत्री माधो लाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा ।
7. उर्मिला बाई पत्नी हंसराज मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा .के निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री दिनांक 14.10.2008 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2009 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.03.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री फिरोज आब्दी दोनों अपीलों में एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री बृजराज कुमार मंत्री दोनों अपीलों में उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट संख्या 15/60 एवं 15/61 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री दिनांक 14.10.2008 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2009 बहाल रखी जाती हैं ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 27.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/60

1. रामेश्वर पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. बच्छराज पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

––अपीलान्ट

बनाम

1. रामी पुत्री श्रवण लाल पत्नी भैरूलाल जाति मीणा निवासी बागली ।
2. हंसराज पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा ।
3. पारी बाई पुत्री माधो लाल जाति मीणा निवासी राजपुरा ।
4. मूर्तिबाई पुत्री माधो लाल जाति मीणा निवासी राजपुरा ।
5. उर्मिला बाई पत्नी हंसराज मीणा निवासी राजपुरा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा ।

––रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 15/61

1. रामेश्वर पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. बच्छराज पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

––अपीलान्ट

बनाम

1. रामी पुत्री श्रवण लाल पत्नी भैरूलाल जाति मीणा निवासी बागली ।
2. हंसराज पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा ।
3. पारी बाई पुत्री माधो लाल जाति मीणा निवासी राजपुरा ।
4. मूर्तिबाई पुत्री माधो लाल जाति मीणा निवासी राजपुरा ।
5. उर्मिला बाई पत्नी हंसराज मीणा निवासी राजपुरा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री फिरोज आब्दी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री बृजराज कुमार मंत्री, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री दिनांक 14.10.2008 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से तथा एक ही पक्षकारान होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री की होने से तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 रामी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 88 के अन्तर्गत ग्राम राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की आराजी कुल किता 06 की कुल रकबा 10.80 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी का 1/3 हिस्सा है और वह अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने की अधिकारी है ।

4. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादी कम 1 से 7 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 359 की 3.05 हैक्टर व ख्सरा नम्बर 501 की 3.95 हैक्टर में से वादिनी का 1/3 हिस्सा विभाजित किया जाकर पृथक खाता पृथक लगान कायम किया जावे इसके अतिरिक्त आराजी खसरा नम्बर 53/585 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 229 की 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.41 हैक्टर में से वादिनी का 2/3 हिस्सा विभाजित किया जाकर पृथक खाता व पृथक लगान राजस्व रिकॉर्ड में कायम करने का आदेश पारित किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.10.2008 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादिनी को वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 359 की 3.05 हैक्टर व ख्सरा नम्बर 501 की 3.95 हैक्टर में से वादिनी का 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया इसके अतिरिक्त आराजी खसरा नम्बर 53/585 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 229 की 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.41 हैक्टर में से वादिनी का 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पक्षकारान के मध्य अंतिम डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनाक 14.10.2008 की पालना में दिनांक 24.06.2009 को पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.10.2008 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2009 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 2 व 3 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी और अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिन्हें उक्त निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.09.2014 को हुई जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, इटावा के आदेश दिनांक 30.06.2005 की पालना में इंतकाल नम्बर 262 द्वारा मूर्ति पुत्री श्रवण का नाम खाते से हटाया जाने का आदेश हुआ तथा मूर्तिबाई पुत्री माधो का नाम यथावत खाते में रखा गया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री पारित करते समय पेश दस्तावेजात पर बिना कोई ध्यान दिये बिना कोई फाइडिंग दिये सरकसरी तौर पर बढते हुए निर्णय पारित करने की कानूनी त्रुटि की है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– 2 पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पढने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट कम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में श्रवणलाल की पुत्री के रूप में दर्ज है तथा वो 1/2 हिस्से की खातेदार है तथा 1/2 हिस्सेदार अपीलान्ट के वारिसान पुत्र व पुत्रियॉ एवं बेवा है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श– 1 नकल जमाबन्दी संवत् 2061 से 64 मे से बात वाजे साबित थी कि रेस्पोडेन्ट कम 1 का नाम बतौर श्रवण लाल की पुत्री ही दो जगह मसलन मूर्ति, रामी पुत्रियॉ श्रवण हिस्सा 1/3 रामी पुत्री श्रवण हिस्सा 1/3 दर्ज जो गलत है क्योंकि यदि अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट के प्रदर्श– 1 नकल जमाबन्दी का मिलान करती तो यह तथ्य साबित हो जाता कि रेस्पोडेन्ट कम 1 का नराम दो जगह 1/3 – 1/3 गलत आ गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट के काउन्टर क्लेम का रेस्पोडेन्ट कम 1 ने कोई जवाब नहीं दिया इस प्रकार वादिनी रेस्पोडेन्ट ने काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया है । प्रस्तुत प्रकरण में पन्नी बेवा माधो फौत हो चुकी इसलिए उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री दिनांक 14.10.2008 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2009 निरस्त फरमाई जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी में वादिनी रेस्पोडेन्ट का हिस्सा है और वह अपने हिस्से का विधिवत विभाजन करवा कर अपना पृथक खाता एवं पृथक लगान दर्ज कराने की अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री दिनांक 14.10.2008 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2009 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी रेस्पोडेन्ट का हिस्सा निहित है और वह अपने हिस्से का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की भूमि को पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में अलग खातेदारी में दर्ज कराने तथा पृथक लगान अदा

करने की अधिकारी है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था जिसे साबित नहीं किया है ।

13. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 15/60 एवं 15/61 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री दिनांक 14.10.2008 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2009 बहाल रखी जाती हैं ।

15. निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा